

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/टंकण/19117/2024/398

दिनांक : 16/04/24

1. श्री विक्रम सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय (मुख्यालय)।
2. श्रीमती सुरभि शर्मा, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय (मुख्यालय)।
3. श्री रवि रानिवाल, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय (मुख्यालय)।
4. श्री अमित शर्मा, कनिष्ठ सहायक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय।
5. श्री रामअवतार मीणा, कनिष्ठ सहायक, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
6. श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, सर पदमपत् नवजात् एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
7. श्री अभिषेक सैन, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
8. श्री जोगेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान जयपुर।
9. श्री राधाकिशन, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान जयपुर।

**विषय:-** टंकण परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने के लिए शिथिलता प्रदान करने हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के द्वारा मॉक टेस्ट गति संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् टंकण परीक्षा में बैठने/सम्मिलित होने के लिए शिथिलता प्रदान करने के लिए पत्रावली कार्मिक विभाग के भिजवाई गयी थी जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार सुचना चाही गयी है:-

1. आपके द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण कब किया गया। नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें।
2. अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के तहत नियुक्त कनिष्ठ सहायक को निर्धारित समयावधि 02 वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता एवं 03 वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। अतः आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित कर ली गई हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि नहीं की गई है, तो साक्ष्य सहित कारण स्पष्ट करें।
3. क्या आप कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.11.2021 के क्रम में आयोजित दो विशेष परीक्षाओं में सम्मिलित हुये यदि हां तो कब-कब एवं यदि नहीं तो क्या कारण था, साक्ष्य सहित कारण स्पष्ट करावे।
4. आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई तो उसका क्या कारण था, साक्ष्य सहित कारण स्पष्ट करावे।

RajKaj Ref

0598728



Digitally signed by Rajesh Kumar

Sharma

Designation : Director

Date: 2024.04.14 13:16:30 IST

Reason: Approved

5. आपके द्वारा टंकण परीक्षा दी गई किन्तु आप परीक्षा में असफल रहे। आपकी टंकण परीक्षा में गति क्या रही, टंकण परीक्षा के परिणाम की प्रति संलग्न करें।

उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति अपने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दिनांक 24.04.2024 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/टंकण/19117/2024/398

दिनांक : 16/04/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, (आर.एम.एस.सी.एल), मुख्यालय।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम/अजमेर।
5. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
6. अधीक्षक, सर पदमपत् नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान जयपुर।
8. नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
9. विधि अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref  
6598729

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2024.04.14 13:16:30 IST  
Reason: Approved